High Courts

- The High Court is the apex court in the judicial administration of a State under the integrated judicial system established by the Constitution of India.
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य की न्यायिक प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय है।
- As per Article 214 of the Constitution, every State or Union Territory is mandated to establish at least one High Court, ensuring access to justice across the country.
- संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक उच्च न्यायालय की स्थापना अनिवार्य है, जिससे पूरे देश में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

Brief History of High Court/उच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

- The institution of High Court originated in India in 1862 when the High Courts were set up in Calcutta, Bombay, and Madras.
- भारत में उच्च न्यायालय की संस्था की शुरुआत 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
- In 1866, a fourth High Court was established at Allahabad.
- 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया।
- In the course of time, each province in British India came to have its own High Court.
- समय के साथ ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय हो गया।
- After 1950, a High Court existing in a province became the High Court for the corresponding State.
- 1950 के बाद किसी प्रांत में विद्यमान उच्च न्यायालय उस संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया।

Constitutional Provisions of High Court

25

- **Articles 214 to 231 in Part VI of the Indian Constitution deal with the provisions related to the High Courts.**
- **भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है।**
- **The constitutional provisions mentioned under these articles deal with the organization, independence, jurisdiction, powers, and procedures of the High Courts.**
- **इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।**

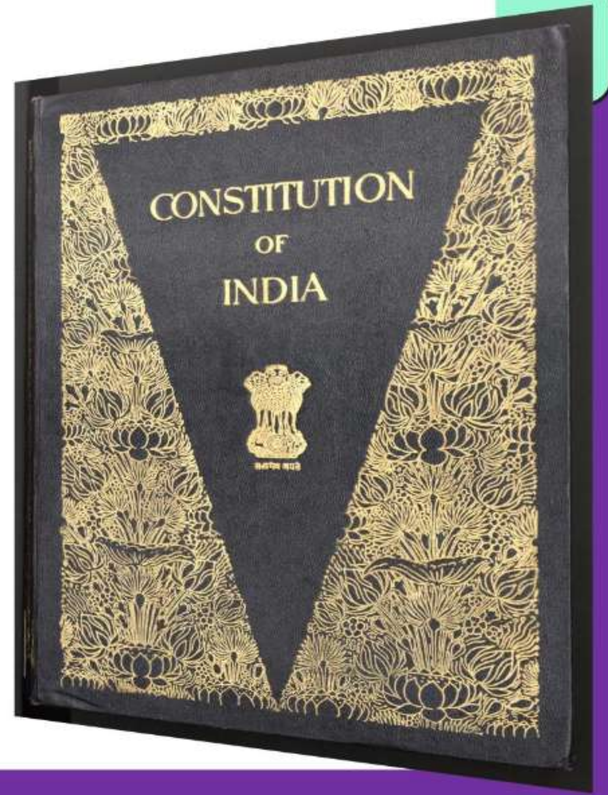

Territorial Jurisdiction of High Court
उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

- The Constitution of India provides for a High Court for each State.
- भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।
- However, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union Territory.
- हालाँकि, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा (Common) उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया।

For example – The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have a common High Court.
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का एक साझा उच्च न्यायालय है।

- The territorial jurisdiction of a High Court is co-terminus with the territory of a State.
- उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र राज्य की भौगोलिक सीमा के समान (co-terminus) होता है।
- The territorial jurisdiction of a common High Court is co-terminus with the territory of a State as well as a Union Territory.
- साझा उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की सीमा के समान होता है।
- The Parliament can extend the jurisdiction of a High Court to any Union Territory or exclude the jurisdiction of a High Court from any Union Territory.
- संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश से उसके अधिकार-क्षेत्र को बाहर कर सकती है।

❑Composition of High Court:

❑उच्च न्यायालय की संरचना:

- The Constitution does not specify the strength of a High Court and leaves it to the discretion of the President.
- संविधान उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ता है।
- Every High Court consists of a Chief Justice and such other Judges as determined by the President.
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- The President determines the strength of a High Court from time to time depending upon the workload of the High Court.
- राष्ट्रपति समय-समय पर उच्च न्यायालय के कार्यभार के अनुसार उसकी न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं।

❑Appointment of Chief Justice of High Court:

❑उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

- The Chief Justice is appointed by the President after consultation with the Governor of the concerned State and the Chief Justice of India.
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।

❑Appointment of Other Judges of High Court:

❑उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- Other Judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor of the State, the Chief Justice of India, and the Chief Justice of the concerned High Court.
- उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।
- In the case of a common High Court for two or more States, the Governors of all the States concerned are consulted by the President of India.
- यदि दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो, तो भारत के राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करते हैं।

Qualifications of Judges of High Court

- A person to be appointed as a judge of a High Court should have the following qualifications:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- He/She should be a citizen of India, and
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और
  - ❑ He/She should have:
  - ❑ उसके पास ये योग्यताएँ होनी चाहिए:
    - Held a judicial office in the territory of India for ten years; OR
    - भारत के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो; या
    - Been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years.
    - किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

Oath and Affirmations of Judges of High Court:

- The Chief Justice and the Judges of the High Court make and subscribe to an oath or affirmation before the Governor of the State or some person appointed by him for this purpose.
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं।

- There is no minimum age for appointment as a judge of a High Court prescribed by the Constitution
- संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है

❑ Salaries & Allowances of Judges of High Court:
❑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते:

- The salaries, allowances, privileges, leave, and pension of the judges of the High Court are determined by the Parliament from time to time.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

❑ Tenure of Judges of High Court:

❑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल:

SC → 65 yr.
HC → 62 yr.
DC → 60 yr.
Judges Transfer
Art 222

- He/She holds office until he/she attains the age of 62 years.
- वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना/बनी रहता/रहती है।
- He/She can resign from his/her office by writing to the President.
- वह राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता/सकती है।
- He/She can be removed from his/her office by the President on the recommendation of the Parliament.
- उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- He/She vacates his/her office when he/she is appointed as a judge of the Supreme Court or when he/she is transferred to another High Court.
- वह अपने पद से तब मुक्त हो जाता/जाती है जब उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है या जब उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

Removal of the Judges of High Court:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया:

- A High Court judge may vacate their office under several circumstances:
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश विभिन्न परिस्थितियों में अपना पद छोड़ सकता है:
- If a judge wishes to resign, they submit their resignation letter to the President of India.
- यदि कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता/चाहती है, तो वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता/करती है।
- A judge's office will be considered vacated if they are appointed to the Supreme Court or transferred to a different High Court.
- यदि किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसका पद रिक्त माना जाएगा।

Removal of the Judges of High Court:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया:

- A High Court judge can be removed from office. This can happen if both Houses of Parliament pass a motion against the judge with an absolute majority and a two-thirds majority of the members present and voting, when sitting separately. The final decision is made by the President of India.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यह तब संभव है जब संसद के दोनों सदन अलग-अलग बैठकों में उस न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित करें। अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।

Impeachment
⇒ President
⇒ V. President
⇒ CJI, CJHC & other Judges
⇒ CAG
⇒ CEC

Lok Sabha Speaker sets in motion the process to remove Allahabad High Court Justice Yashwant Varma

The three-member committee includes Justice Arvind Kumar of the Supreme Court, Justice Manindra Mohan Srivastava, Chief Justice of the Madras High Court and Senior Advocate of Karnataka High Court B.V. Acharya

Updated – August 12, 2025 05:02 pm IST

Transfer of Judges of High Court:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण:

222

- The President of India can transfer a judge of one High Court to another High Court after consulting the Chief Justice of India.
- भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं।

- As per Third Judges Case (1998), in case of transfer of a judge of the High Court, the Chief Justice of India should consult, in addition to a collegium of 4 seniormost judges of the Supreme Court, the Chief Justices of the two High Courts concerned.
- थर्ड जजेज केस (1998) के अनुसार, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के अतिरिक्त संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

Acting Judge

- The President can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a High Court when a judge of that High Court is:
- राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय का कार्यवाहक (Acting) न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, जब उस उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश:
- unable to perform the duties of his/her office due to absence or any other reason; or
- अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; या
- appointed to act temporarily as Chief Justice of that High Court.
- उसी उच्च न्यायालय का अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो।
- An acting judge holds office until the permanent judge resumes his/her office. However, he/she cannot hold office after attaining the age of 62 years.
- कार्यवाहक न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता/रहती है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता/लेती। तथापि, वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकता/सकती।

Additional Judge

- The President can appoint duly qualified persons as additional judges of a High Court for a temporary period not exceeding two years when:
- राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय में विधिवत योग्य व्यक्तियों को अधिकतम दो वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त (Additional) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जब:
- there is a temporary increase in the business of the High Court;
- उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि हो;
- there are arrears of work in the High Court.
- उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का भार (arrears) अधिक हो।
- An additional judge cannot hold office after attaining the age of 62 years.
- एक अतिरिक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकता/सकती।

Retired Judge

- The Chief Justice of a High Court of a State can request a retired judge of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court of that State for a temporary period.
- किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उस राज्य के उच्च न्यायालय में अस्थायी अवधि के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- The Chief Justice of a High Court of a State can do so only with the previous consent of the President and also of the person to be so appointed.
- मुख्य न्यायाधीश ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति से ही कर सकते हैं।
- Allowances of such a judge are determined by the President of India.
- ऐसे न्यायाधीश के भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- He/She enjoys all the jurisdiction, powers, and privileges of a judge of that High Court. But, he/she will not otherwise be deemed to be a judge of that High Court.
- वह उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग करता/करती है, परंतु अन्यथा उसे उस उच्च न्यायालय का नियमित न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

Jurisdiction of High Court:

❑ The present jurisdiction and powers of a High Court are governed by multiple sources, including:

❑ उच्च न्यायालय के वर्तमान अधिकार-क्षेत्र और शक्तियाँ अनेक स्रोतों द्वारा संचालित होती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- the constitutional provisions,/संवैधानिक प्रावधान,
- the Letters Patent,/लेटर्स पेटेंट (Letters Patent),
- the Acts of Parliament,/संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम,
- the Acts of State Legislature,/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम,
- the Indian Penal Code, 1860,/भारतीय दंड संहिता, 1860,
- the Criminal Procedure Code, 1973, and/दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, तथा
- the Civil Procedure Code, 1908./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

❑ The extensive jurisdiction and powers of the High Court can be classified into the following categories:

❑ उच्च न्यायालय के व्यापक अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- Original Jurisdiction/मूल अधिकार-क्षेत्र
- Writ Jurisdiction/रिट अधिकार-क्षेत्र
- Appellate Jurisdiction/अपीलीय अधिकार-क्षेत्र
- Supervisory Jurisdiction/पर्यवेक्षण (Supervisory) अधिकार-क्षेत्र

Original Jurisdiction

- Disputes relating to the election of members of Parliament and State Legislatures.
- संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद।
- Regarding revenue matters or an act ordered or done in revenue collection.
- राजस्व मामलों से संबंधित या राजस्व संग्रह के दौरान किए गए आदेश अथवा कार्य से संबंधित मामले।
- Enforcement of fundamental rights of citizens.
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले।
- Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the Constitution to its own file.
- ऐसे मामले जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित कर उच्च न्यायालय में लाया गया हो और जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल हो।
- The four High Courts (i.e., Calcutta, Bombay, Madras and Delhi High Courts) have original civil jurisdiction in classes of higher value.
- चार उच्च न्यायालय (अर्थात् कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) उच्च मूल्य के दीवानी मामलों में मूल दीवानी अधिकार-क्षेत्र रखते हैं।

Writ Jurisdiction

- As per Article 226 of the Indian Constitution, the High Court is empowered to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and any ordinary legal right.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा किसी भी सामान्य वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- The writ jurisdiction of the High Court is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of the Supreme Court.
- उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र विशिष्ट (exclusive) नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकार-क्षेत्र के साथ समवर्ती (concurrent) है।
- However, the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court.
- हालाँकि, उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है।
- While the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of Fundamental Rights, the High Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as any ordinary legal right.
- जहाँ सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी सामान्य वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

Appellate Jurisdiction

- The High Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgments of Subordinate Courts functioning within the territorial jurisdiction of the State.
- उच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपीलीय न्यायालय है और राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
- The Appellate Jurisdiction of the High Court can be classified under the following two heads:
- उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. Appeals in Civil Matters
   दीवानी मामलों में अपीलें
2. Appeals in Criminal Matters
   आपराधिक मामलों में अपीलें

Supervisory Jurisdiction

- A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction, except military courts or tribunals.
- उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति प्राप्त है, सैन्य न्यायालयों या अधिकरणों को छोड़कर।
- This power of superintendence of a High Court extends to all courts and tribunals whether they are subject to the appellate jurisdiction of the High Court or not.
- उच्च न्यायालय की यह अधीक्षण शक्ति उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों तक विस्तृत है, चाहे वे उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र के अधीन हों या नहीं।
- The following points are to be noted w.r.t. the Supervisory Jurisdiction of High Courts:
- उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण (Supervisory) अधिकार-क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:
  - It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence.
  - यह केवल प्रशासनिक अधीक्षण ही नहीं, बल्कि न्यायिक अधीक्षण को भी शामिल करता है।
  - It is a revisional jurisdiction.
  - यह पुनरीक्षण (Revisional) अधिकार-क्षेत्र है।
  - It can be suo-motu (on its own) and not necessarily on the application of a party.
  - यह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) के आधार पर भी प्रयोग किया जा सकता है और आवश्यक नहीं कि किसी पक्ष की याचिका पर ही हो।

High Court to be a Court of Record:
उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में:

- The judgments, proceedings, and acts of the High Court are recorded for perpetual memory and testimony.
- उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियाँ और कृत्य स्थायी अभिलेख एवं प्रमाण के रूप में दर्ज किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court.
- ये अभिलेख साक्ष्यात्मक मूल्य रखते हैं और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- These judgments are recognized as legal precedents and legal references.
- इन निर्णयों को विधिक मिसाल (legal precedents) और विधिक संदर्भ (legal references) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- It has the power to punish for contempt of not only itself but also contempt of subordinate courts.
- इसे न केवल अपनी, बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना (Contempt) के लिए भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
- The power to review and correct its own judgment, order, or decision.
- इसे अपने ही निर्णय, आदेश या फैसले की समीक्षा (Review) और संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

Power of Judicial Review:
न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति:

- It refers to the power of the High Court to examine the constitutionality of legislative acts and executive orders of both the Central and the State Governments.
- यह उच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जाँच करता है।

Important Article Related to High Court

Article No.	Subject Matter
214	High Courts for States राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215	High Courts to be Court of Record उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा
216	Constitution of High Court उच्च न्यायालय की संरचना
217	Appointment and conditions of the office of a Judge of High Court उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें
218	Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर लागू होना
219	Oath or Affirmation by Judges of High Court उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220	Restriction on practice after being a permanent Judge स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध

SIC → 124
214

Article No.	Subject Matter
221	Salaries etc. of Judges न्यायाधीशों का वेतन आदि
222	Transfer of Judge from one High Court to another एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण
223	Appointment of Acting Chief Justice कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
224	Appointment of Additional and Acting Judge अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति
224A	Appointment of Retired Judges at sitting of High Court उच्च न्यायालय की पीठ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225	Jurisdiction of existing High Court विद्यमान उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र
226	Power of High Court to issue certain writs उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति

Article No.	Subject Matter (English)
227	Power of superintendence over all courts by High Court/उच्च न्यायालय की सभी न्यायालयों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति
228	Transfer of certain cases to High Court/कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
229	Officers and servants and the expenses of High Court/उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उसके व्यय
230	Extension of jurisdiction of High Court to Union Territories/उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार
231	Establishment of a common High Court for two or more States or State and Union Territories/दो या अधिक राज्यों या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना

Subordinate Courts (The backbone of India's judicial system)

- Subordinate courts are situated below the High Court; these courts handle a wide range of civil and criminal cases, providing access to justice for citizens across various jurisdictions.
- अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन स्थित होते हैं; ये न्यायालय विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराते हुए दीवानी और आपराधिक मामलों की विस्तृत श्रेणी की सुनवाई करते हैं।
- Articles 233 to 237 in Part VI of the Constitution make the following provisions to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive.
- संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमि करने तथा उनकी कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

Structure:

HIGH COURT

District and sessions judge court

- Highest judicial authority of district.
- जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी।
- Both Civil (District Judge) and Criminal (Sessions Judge).
- दीवानी (जिला न्यायाधीश) तथा आपराधिक (सत्र न्यायाधीश) दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता/करती है।
- Administrative, judicial, and supervisory powers.
- प्रशासनिक, न्यायिक तथा पर्यवेक्षण (Supervisory) शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- Appeal lies to High Court.
- इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है।
- Capital punishment: subject to confirmation by the High Court.
- मृत्युदंड: उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन होता है।

Subordinate judges court

Unlimited pecuniary jurisdiction over civil suits

Munsiff's court

Civil cases of small pecuniary

Chief judicial magistrate court

Judicial magistrate court

Important Articles related to Subordinate Courts

By Governor

Article No.	Subject Matter (English)
233	Appointment of District Judges जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233A	Validation of appointments of, and judgments etc. delivered by certain District Judges कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का वैधीकरण
234	Recruitment of persons other than District Judges to the Judicial Service जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती
235	Control over Subordinate Courts अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236	Interpretation व्याख्या
237	Application of the provisions of this chapter to certain class or classes of Magistrates इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर अनुप्रयोग

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

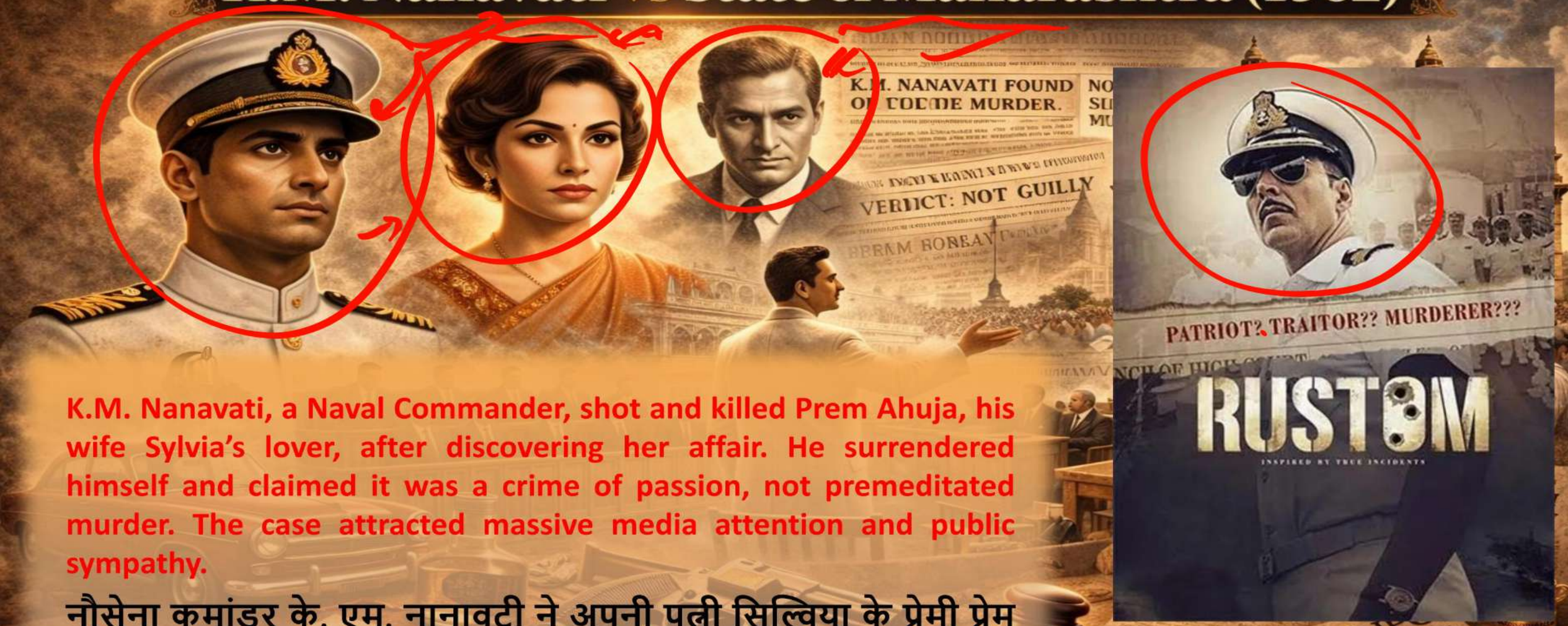

K.M. Nanavati, a Naval Commander, shot and killed Prem Ahuja, his wife Sylvia's lover, after discovering her affair. He surrendered himself and claimed it was a crime of passion, not premeditated murder. The case attracted massive media attention and public sympathy.

नौसेना कमांडर के. एम. नानावटी ने अपनी पत्नी सिल्विया के प्रेमी प्रेम आहूजा को उसके संबंध का पता चलने पर गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और दावा किया कि यह पूर्वनियोजित हत्या नहीं बल्कि आवेश में किया गया अपराध था। इस मामले ने व्यापक मीडिया ध्यान और जनसहानुभूति आकर्षित की।

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

ISSUES : -

- **Was killing murder (section 302 IPC) or culpable homicide not amounting to murder (section 304 IPC)? / क्या यह हत्या (आईपीसी धारा 302) थी या हत्या न माने जाने योग्य आपराधिक मानव वध (आईपीसी धारा 304)?**
- **Could jury verdicts be overturned by the high court?**

  क्या उच्च न्यायालय जूरी के निर्णय को पलट सकता था?
- **Was the Governor's pardon power valid during judicial proceedings?**

  क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान राज्यपाल की क्षमादान शक्ति वैध थी?

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

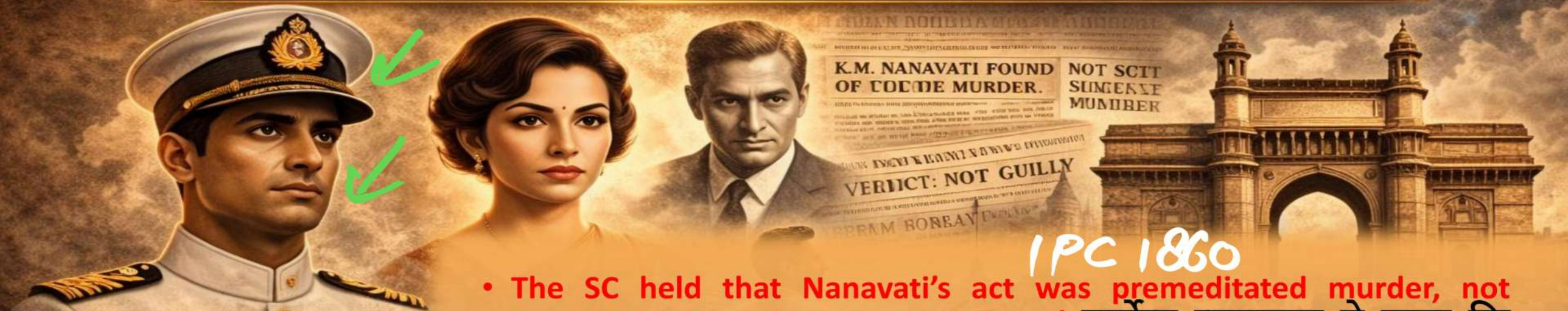

IPC 1860

Judgment :

- The SC held that Nanavati's act was premeditated murder, not committed in sudden provocation. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नानावटी का कृत्य पूर्वनियोजित हत्या था, न कि अचानक उकसावे में किया गया अपराध।
- They jury's acquittal was set aside due to misdirection by the judge, and Nanavati was convicted under section 302 IPC. / न्यायाधीश द्वारा गलत दिशा-निर्देशन के कारण जूरी का बरी करने का निर्णय निरस्त किया गया और नानावटी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया।
- The court also clarified the limits of the Governor's power of Pardon – it cannot interfere while a judicial process is pending. / न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की सीमाएँ भी स्पष्ट कीं – लंबित न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

IPC (Indian Penal Code 1860)

BNS (Bhartiya Nyay Sanhita)

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

Significance:

- **One of India's most famous criminal cases – ended the jury trial system in India due to media influence and public bias.**
- भारत के सबसे प्रसिद्ध आपराधिक मामलों में से एक – मीडिया प्रभाव और जन पक्षपात के कारण भारत में जूरी ट्रायल प्रणाली का अंत हुआ।
- **Reinforced judicial supremacy over jury verdicts.**
- जूरी के निर्णयों पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को मजबूत किया।

High Courts

- The High Court is the apex court in the judicial administration of a State under the integrated judicial system established by the Constitution of India.
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एकीकृत न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य की न्यायिक प्रशासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय है।
- As per Article 214 of the Constitution, every State or Union Territory is mandated to establish at least one High Court, ensuring access to justice across the country.
- संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक उच्च न्यायालय की स्थापना अनिवार्य है, जिससे पूरे देश में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

Brief History of High Court/उच्च न्यायालय का संक्षिप्त इतिहास:

- The institution of High Court originated in India in 1862 when the High Courts were set up in Calcutta, Bombay, and Madras.
- भारत में उच्च न्यायालय की संस्था की शुरुआत 1862 में हुई, जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए।
- In 1866, a fourth High Court was established at Allahabad.
- 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया।
- In the course of time, each province in British India came to have its own High Court.
- समय के साथ ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय हो गया।
- After 1950, a High Court existing in a province became the High Court for the corresponding State.
- 1950 के बाद किसी प्रांत में विद्यमान उच्च न्यायालय उस संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया।

Constitutional Provisions of High Court

25

- **Articles 214 to 231 in Part VI of the Indian Constitution deal with the provisions related to the High Courts.**
- **भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है।**
- **The constitutional provisions mentioned under these articles deal with the organization, independence, jurisdiction, powers, and procedures of the High Courts.**
- **इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।**

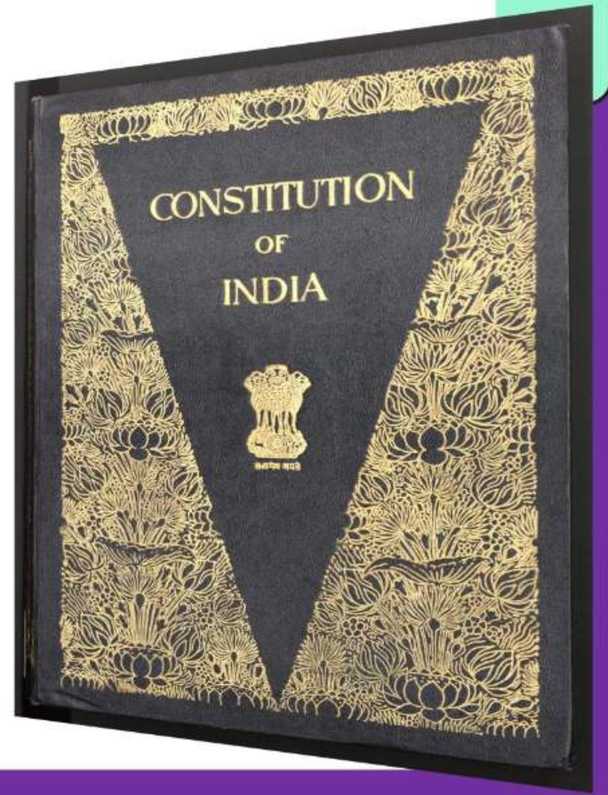

Territorial Jurisdiction of High Court
उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

- The Constitution of India provides for a High Court for each State.
- भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।
- However, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union Territory.
- हालाँकि, 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा (Common) उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया।

For example – The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have a common High Court.
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का एक साझा उच्च न्यायालय है।

- The territorial jurisdiction of a High Court is co-terminus with the territory of a State.
- उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र राज्य की भौगोलिक सीमा के समान (co-terminus) होता है।
- The territorial jurisdiction of a common High Court is co-terminus with the territory of a State as well as a Union Territory.
- साझा उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की सीमा के समान होता है।
- The Parliament can extend the jurisdiction of a High Court to any Union Territory or exclude the jurisdiction of a High Court from any Union Territory.
- संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित कर सकती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश से उसके अधिकार-क्षेत्र को बाहर कर सकती है।

❑Composition of High Court:

❑उच्च न्यायालय की संरचना:

- The Constitution does not specify the strength of a High Court and leaves it to the discretion of the President.
- संविधान उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ता है।
- Every High Court consists of a Chief Justice and such other Judges as determined by the President.
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
- The President determines the strength of a High Court from time to time depending upon the workload of the High Court.
- राष्ट्रपति समय-समय पर उच्च न्यायालय के कार्यभार के अनुसार उसकी न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं।

❑Appointment of Chief Justice of High Court:

❑उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:

- The Chief Justice is appointed by the President after consultation with the Governor of the concerned State and the Chief Justice of India.
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।

❑Appointment of Other Judges of High Court:

❑उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:

- Other Judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor of the State, the Chief Justice of India, and the Chief Justice of the concerned High Court.
- उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है।
- In the case of a common High Court for two or more States, the Governors of all the States concerned are consulted by the President of India.
- यदि दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो, तो भारत के राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करते हैं।

Qualifications of Judges of High Court

- A person to be appointed as a judge of a High Court should have the following qualifications:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए:
- He/She should be a citizen of India, and
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और
  - ❑ He/She should have:
  - ❑ उसके पास ये योग्यताएँ होनी चाहिए:
    - Held a judicial office in the territory of India for ten years; OR
    - भारत के क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो; या
    - Been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years.
    - किसी उच्च न्यायालय (या क्रमशः उच्च न्यायालयों) में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

Oath and Affirmations of Judges of High Court:

- The Chief Justice and the Judges of the High Court make and subscribe to an oath or affirmation before the Governor of the State or some person appointed by him for this purpose.
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं।

- There is no minimum age for appointment as a judge of a High Court prescribed by the Constitution
- संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है

❑ Salaries & Allowances of Judges of High Court:
❑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते:

- The salaries, allowances, privileges, leave, and pension of the judges of the High Court are determined by the Parliament from time to time.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

❑ Tenure of Judges of High Court:

❑ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल:

SC → 65 yr.
HC → 62 yr.
DC → 60 yr.
Judges Transfer
Art 222

- He/She holds office until he/she attains the age of 62 years.
- वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना/बनी रहता/रहती है।
- He/She can resign from his/her office by writing to the President.
- वह राष्ट्रपति को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता/सकती है।
- He/She can be removed from his/her office by the President on the recommendation of the Parliament.
- उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- He/She vacates his/her office when he/she is appointed as a judge of the Supreme Court or when he/she is transferred to another High Court.
- वह अपने पद से तब मुक्त हो जाता/जाती है जब उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है या जब उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

Removal of the Judges of High Court:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया:

- A High Court judge may vacate their office under several circumstances:
- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश विभिन्न परिस्थितियों में अपना पद छोड़ सकता है:
- If a judge wishes to resign, they submit their resignation letter to the President of India.
- यदि कोई न्यायाधीश इस्तीफा देना चाहता/चाहती है, तो वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता/करती है।
- A judge's office will be considered vacated if they are appointed to the Supreme Court or transferred to a different High Court.
- यदि किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसका पद रिक्त माना जाएगा।

Removal of the Judges of High Court:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने की प्रक्रिया:

- A High Court judge can be removed from office. This can happen if both Houses of Parliament pass a motion against the judge with an absolute majority and a two-thirds majority of the members present and voting, when sitting separately. The final decision is made by the President of India.
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यह तब संभव है जब संसद के दोनों सदन अलग-अलग बैठकों में उस न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित करें। अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।

Impeachment
⇒ President
⇒ V. President
⇒ CJI, CJHC & other Judges
⇒ CAG
⇒ CEC

Lok Sabha Speaker sets in motion the process to remove Allahabad High Court Justice Yashwant Varma

The three-member committee includes Justice Arvind Kumar of the Supreme Court, Justice Manindra Mohan Srivastava, Chief Justice of the Madras High Court and Senior Advocate of Karnataka High Court B.V. Acharya

Updated – August 12, 2025 05:02 pm IST

Transfer of Judges of High Court:
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण:

222

- The President of India can transfer a judge of one High Court to another High Court after consulting the Chief Justice of India.
- भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं।

- As per Third Judges Case (1998), in case of transfer of a judge of the High Court, the Chief Justice of India should consult, in addition to a collegium of 4 seniormost judges of the Supreme Court, the Chief Justices of the two High Courts concerned.
- थर्ड जजेज केस (1998) के अनुसार, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के अतिरिक्त संबंधित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

Acting Judge

- The President can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a High Court when a judge of that High Court is:
- राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय का कार्यवाहक (Acting) न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, जब उस उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश:
- unable to perform the duties of his/her office due to absence or any other reason; or
- अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; या
- appointed to act temporarily as Chief Justice of that High Court.
- उसी उच्च न्यायालय का अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो।
- An acting judge holds office until the permanent judge resumes his/her office. However, he/she cannot hold office after attaining the age of 62 years.
- कार्यवाहक न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता/रहती है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता/लेती। तथापि, वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकता/सकती।

Additional Judge

- The President can appoint duly qualified persons as additional judges of a High Court for a temporary period not exceeding two years when:
- राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय में विधिवत योग्य व्यक्तियों को अधिकतम दो वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त (Additional) न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जब:
- there is a temporary increase in the business of the High Court;
- उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि हो;
- there are arrears of work in the High Court.
- उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का भार (arrears) अधिक हो।
- An additional judge cannot hold office after attaining the age of 62 years.
- एक अतिरिक्त न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद पर नहीं रह सकता/सकती।

Retired Judge

- The Chief Justice of a High Court of a State can request a retired judge of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court of that State for a temporary period.
- किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उस राज्य के उच्च न्यायालय में अस्थायी अवधि के लिए न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- The Chief Justice of a High Court of a State can do so only with the previous consent of the President and also of the person to be so appointed.
- मुख्य न्यायाधीश ऐसा केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सहमति से ही कर सकते हैं।
- Allowances of such a judge are determined by the President of India.
- ऐसे न्यायाधीश के भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- He/She enjoys all the jurisdiction, powers, and privileges of a judge of that High Court. But, he/she will not otherwise be deemed to be a judge of that High Court.
- वह उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग करता/करती है, परंतु अन्यथा उसे उस उच्च न्यायालय का नियमित न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

Jurisdiction of High Court:

❑ The present jurisdiction and powers of a High Court are governed by multiple sources, including:

❑ उच्च न्यायालय के वर्तमान अधिकार-क्षेत्र और शक्तियाँ अनेक स्रोतों द्वारा संचालित होती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- the constitutional provisions,/संवैधानिक प्रावधान,
- the Letters Patent,/लेटर्स पेटेंट (Letters Patent),
- the Acts of Parliament,/संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम,
- the Acts of State Legislature,/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम,
- the Indian Penal Code, 1860,/भारतीय दंड संहिता, 1860,
- the Criminal Procedure Code, 1973, and/दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, तथा
- the Civil Procedure Code, 1908./सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

❑ The extensive jurisdiction and powers of the High Court can be classified into the following categories:

❑ उच्च न्यायालय के व्यापक अधिकार-क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- Original Jurisdiction/मूल अधिकार-क्षेत्र
- Writ Jurisdiction/रिट अधिकार-क्षेत्र
- Appellate Jurisdiction/अपीलीय अधिकार-क्षेत्र
- Supervisory Jurisdiction/पर्यवेक्षण (Supervisory) अधिकार-क्षेत्र

Original Jurisdiction

- Disputes relating to the election of members of Parliament and State Legislatures.
- संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद।
- Regarding revenue matters or an act ordered or done in revenue collection.
- राजस्व मामलों से संबंधित या राजस्व संग्रह के दौरान किए गए आदेश अथवा कार्य से संबंधित मामले।
- Enforcement of fundamental rights of citizens.
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामले।
- Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the Constitution to its own file.
- ऐसे मामले जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित कर उच्च न्यायालय में लाया गया हो और जिनमें संविधान की व्याख्या शामिल हो।
- The four High Courts (i.e., Calcutta, Bombay, Madras and Delhi High Courts) have original civil jurisdiction in classes of higher value.
- चार उच्च न्यायालय (अर्थात् कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) उच्च मूल्य के दीवानी मामलों में मूल दीवानी अधिकार-क्षेत्र रखते हैं।

Writ Jurisdiction

- As per Article 226 of the Indian Constitution, the High Court is empowered to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and any ordinary legal right.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा किसी भी सामान्य वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- The writ jurisdiction of the High Court is not exclusive but concurrent with the writ jurisdiction of the Supreme Court.
- उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र विशिष्ट (exclusive) नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकार-क्षेत्र के साथ समवर्ती (concurrent) है।
- However, the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme Court.
- हालाँकि, उच्च न्यायालय का रिट अधिकार-क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है।
- While the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of Fundamental Rights, the High Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights as well as any ordinary legal right.
- जहाँ सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी सामान्य वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

Appellate Jurisdiction

- The High Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgments of Subordinate Courts functioning within the territorial jurisdiction of the State.
- उच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपीलीय न्यायालय है और राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है।
- The Appellate Jurisdiction of the High Court can be classified under the following two heads:
- उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. Appeals in Civil Matters
   दीवानी मामलों में अपीलें
2. Appeals in Criminal Matters
   आपराधिक मामलों में अपीलें

Supervisory Jurisdiction

- A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction, except military courts or tribunals.
- उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति प्राप्त है, सैन्य न्यायालयों या अधिकरणों को छोड़कर।
- This power of superintendence of a High Court extends to all courts and tribunals whether they are subject to the appellate jurisdiction of the High Court or not.
- उच्च न्यायालय की यह अधीक्षण शक्ति उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों तक विस्तृत है, चाहे वे उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र के अधीन हों या नहीं।
- The following points are to be noted w.r.t. the Supervisory Jurisdiction of High Courts:
- उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण (Supervisory) अधिकार-क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:
  - It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence.
  - यह केवल प्रशासनिक अधीक्षण ही नहीं, बल्कि न्यायिक अधीक्षण को भी शामिल करता है।
  - It is a revisional jurisdiction.
  - यह पुनरीक्षण (Revisional) अधिकार-क्षेत्र है।
  - It can be suo-motu (on its own) and not necessarily on the application of a party.
  - यह स्वतः संज्ञान (Suo Motu) के आधार पर भी प्रयोग किया जा सकता है और आवश्यक नहीं कि किसी पक्ष की याचिका पर ही हो।

High Court to be a Court of Record:
उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के रूप में:

- The judgments, proceedings, and acts of the High Court are recorded for perpetual memory and testimony.
- उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियाँ और कृत्य स्थायी अभिलेख एवं प्रमाण के रूप में दर्ज किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court.
- ये अभिलेख साक्ष्यात्मक मूल्य रखते हैं और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
- These judgments are recognized as legal precedents and legal references.
- इन निर्णयों को विधिक मिसाल (legal precedents) और विधिक संदर्भ (legal references) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- It has the power to punish for contempt of not only itself but also contempt of subordinate courts.
- इसे न केवल अपनी, बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना (Contempt) के लिए भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
- The power to review and correct its own judgment, order, or decision.
- इसे अपने ही निर्णय, आदेश या फैसले की समीक्षा (Review) और संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

Power of Judicial Review:
न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति:

- It refers to the power of the High Court to examine the constitutionality of legislative acts and executive orders of both the Central and the State Governments.
- यह उच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जाँच करता है।

Important Article Related to High Court

Article No.	Subject Matter
214	High Courts for States राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215	High Courts to be Court of Record उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा
216	Constitution of High Court उच्च न्यायालय की संरचना
217	Appointment and conditions of the office of a Judge of High Court उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें
218	Application of certain provisions relating to Supreme Court to High Courts सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर लागू होना
219	Oath or Affirmation by Judges of High Court उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220	Restriction on practice after being a permanent Judge स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध

SIC → 124
214

Article No.	Subject Matter
221	Salaries etc. of Judges न्यायाधीशों का वेतन आदि
222	Transfer of Judge from one High Court to another एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण
223	Appointment of Acting Chief Justice कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
224	Appointment of Additional and Acting Judge अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति
224A	Appointment of Retired Judges at sitting of High Court उच्च न्यायालय की पीठ में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225	Jurisdiction of existing High Court विद्यमान उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र
226	Power of High Court to issue certain writs उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति

Article No.	Subject Matter (English)
227	Power of superintendence over all courts by High Court/उच्च न्यायालय की सभी न्यायालयों पर अधीक्षण (Superintendence) की शक्ति
228	Transfer of certain cases to High Court/कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
229	Officers and servants and the expenses of High Court/उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उसके व्यय
230	Extension of jurisdiction of High Court to Union Territories/उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार
231	Establishment of a common High Court for two or more States or State and Union Territories/दो या अधिक राज्यों या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना

Subordinate Courts (The backbone of India's judicial system)

- Subordinate courts are situated below the High Court; these courts handle a wide range of civil and criminal cases, providing access to justice for citizens across various jurisdictions.
- अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन स्थित होते हैं; ये न्यायालय विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय उपलब्ध कराते हुए दीवानी और आपराधिक मामलों की विस्तृत श्रेणी की सुनवाई करते हैं।
- Articles 233 to 237 in Part VI of the Constitution make the following provisions to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive.
- संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमि करने तथा उनकी कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

Structure:

HIGH COURT

District and sessions judge court

- Highest judicial authority of district.
- जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी।
- Both Civil (District Judge) and Criminal (Sessions Judge).
- दीवानी (जिला न्यायाधीश) तथा आपराधिक (सत्र न्यायाधीश) दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता/करती है।
- Administrative, judicial, and supervisory powers.
- प्रशासनिक, न्यायिक तथा पर्यवेक्षण (Supervisory) शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- Appeal lies to High Court.
- इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है।
- Capital punishment: subject to confirmation by the High Court.
- मृत्युदंड: उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन होता है।

Subordinate judges court

Unlimited pecuniary jurisdiction over civil suits

Munsiff's court

Civil cases of small pecuniary

Chief judicial magistrate court

Judicial magistrate court

Important Articles related to Subordinate Courts

By Governor

Article No.	Subject Matter (English)
233	Appointment of District Judges जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233A	Validation of appointments of, and judgments etc. delivered by certain District Judges कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का वैधीकरण
234	Recruitment of persons other than District Judges to the Judicial Service जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती
235	Control over Subordinate Courts अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236	Interpretation व्याख्या
237	Application of the provisions of this chapter to certain class or classes of Magistrates इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर अनुप्रयोग

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

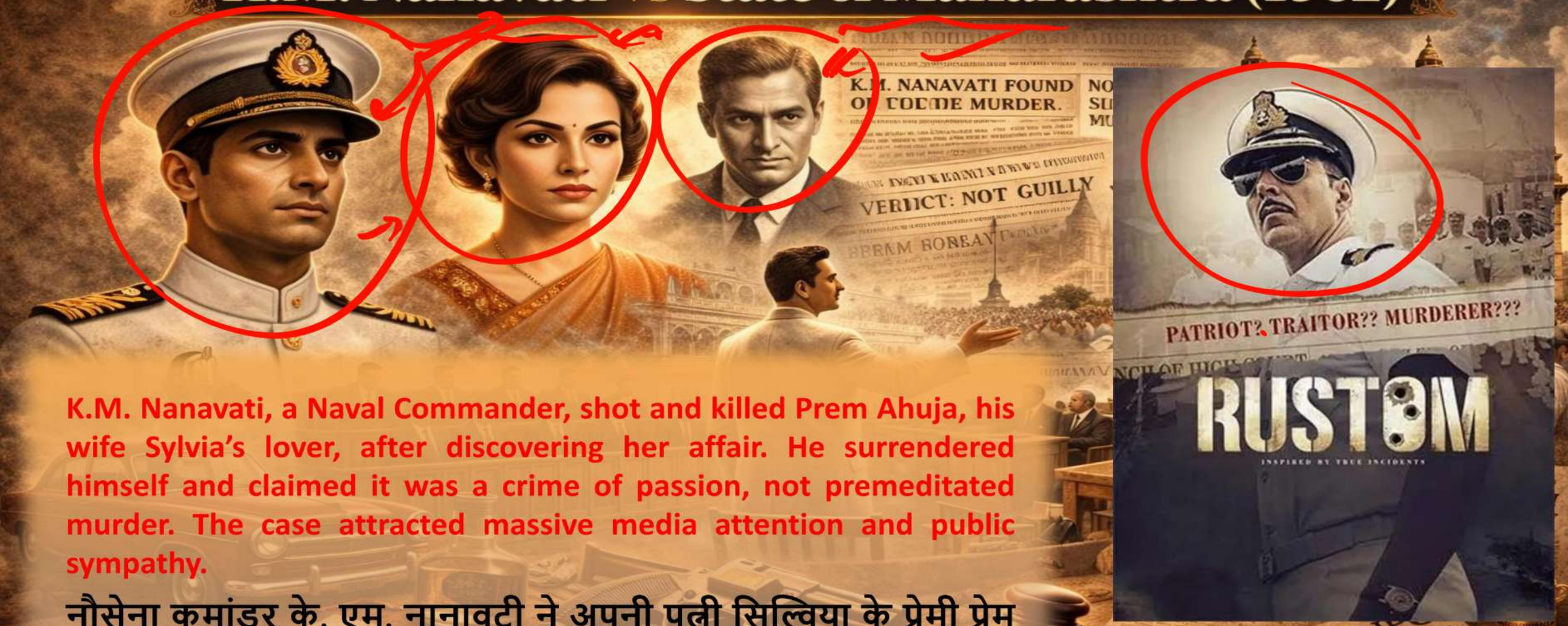

K.M. Nanavati, a Naval Commander, shot and killed Prem Ahuja, his wife Sylvia's lover, after discovering her affair. He surrendered himself and claimed it was a crime of passion, not premeditated murder. The case attracted massive media attention and public sympathy.

नौसेना कमांडर के. एम. नानावटी ने अपनी पत्नी सिल्विया के प्रेमी प्रेम आहूजा को उसके संबंध का पता चलने पर गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और दावा किया कि यह पूर्वनियोजित हत्या नहीं बल्कि आवेश में किया गया अपराध था। इस मामले ने व्यापक मीडिया ध्यान और जनसहानुभूति आकर्षित की।

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

ISSUES : -

- **Was killing murder (section 302 IPC) or culpable homicide not amounting to murder (section 304 IPC)? / क्या यह हत्या (आईपीसी धारा 302) थी या हत्या न माने जाने योग्य आपराधिक मानव वध (आईपीसी धारा 304)?**
- **Could jury verdicts be overturned by the high court?**

  क्या उच्च न्यायालय जूरी के निर्णय को पलट सकता था?
- **Was the Governor's pardon power valid during judicial proceedings?**

  क्या न्यायिक कार्यवाही के दौरान राज्यपाल की क्षमादान शक्ति वैध थी?

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

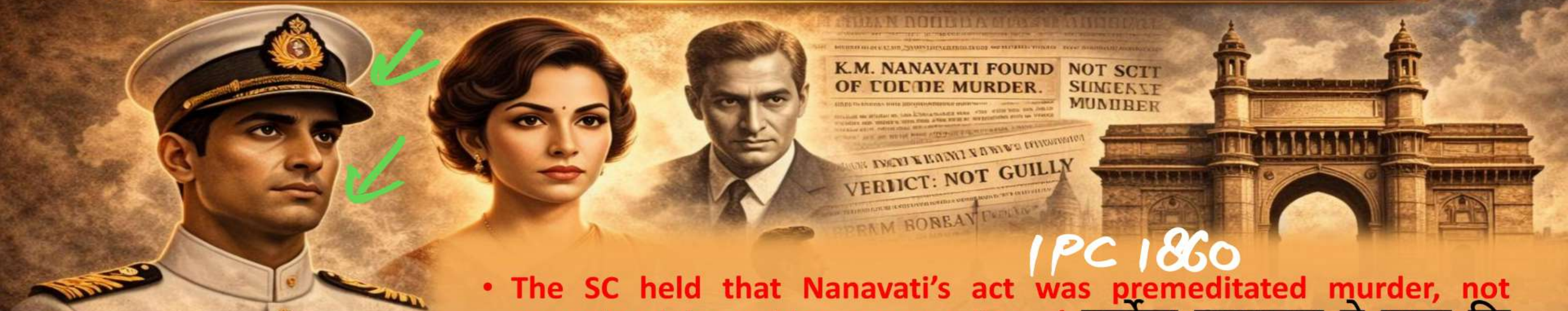

IPC 1860

Judgment :

- The SC held that Nanavati's act was premeditated murder, not committed in sudden provocation. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नानावटी का कृत्य पूर्वनियोजित हत्या था, न कि अचानक उकसावे में किया गया अपराध।
- They jury's acquittal was set aside due to misdirection by the judge, and Nanavati was convicted under section 302 IPC. / न्यायाधीश द्वारा गलत दिशा-निर्देशन के कारण जूरी का बरी करने का निर्णय निरस्त किया गया और नानावटी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया।
- The court also clarified the limits of the Governor's power of Pardon – it cannot interfere while a judicial process is pending. / न्यायालय ने राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की सीमाएँ भी स्पष्ट कीं – लंबित न्यायिक प्रक्रिया के दौरान इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

IPC (Indian Penal Code 1860)

BNS (Bhartiya Nyay Sanhita)

K.M. Nanavati vs State of Maharashtra (1962)

Significance:

- **One of India's most famous criminal cases – ended the jury trial system in India due to media influence and public bias.**
- भारत के सबसे प्रसिद्ध आपराधिक मामलों में से एक – मीडिया प्रभाव और जन पक्षपात के कारण भारत में जूरी ट्रायल प्रणाली का अंत हुआ।
- **Reinforced judicial supremacy over jury verdicts.**
- जूरी के निर्णयों पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को मजबूत किया।